आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि /ओरि/ अजमेर/10/1003 दिनांकः03 दिसम्बर, 2019

निदेशक,
यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषयः दिनांक 5.12.219 से 24.12.2019 तक ओरियन्टेशन कार्यक्रम III बाबत।
सन्दर्भ :आपका पत्र एफ () एचआरडीसी/एमडीएसयू/2019/3348 दिनांक 2.11.19 एवं 3355 दिनांक 6.11.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 5.12.19 से 24.12.19 तक आयोजित ओरियन्टेशन कार्यक्रम III में भाग लेने के लिए आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 1002 दिनांक 29.11.19 में क्रमांक 49 पर अंकित शशिकान्त आचार्य, सहायक आचार्य, अंग्रेजी , राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर एवं क्रमांक 52 पर अंकित नीलम चौधरी, सहायक आचार्य–विधि, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर के स्थान पर डॉ0 गोविन्द सारस्वत, सहायक आचार्य–अग्रेजी , राजकीय महाविद्यालय, डेगाना एवं रूना सिंह, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र, राजकीय एम0एस0जे0 महाविद्यालय, भरतपुर को मनोनीत किया जाता है।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आपके द्वारा देय होगा। शेष अन्य व्यय प्रतिभागियों को स्वयं के स्तर पर वहन करना होगा।

भवदीय

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि /ओरि/ अजमेर/10/1003 दिनांकः03 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :–
   (अ) दिनांक 31.12.2008 से कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम(सी.ए.एस.) के तहत सभी सह/सहायक आचार्यो को वरिष्ठ वेतनमान के लिए एक ओरियेन्टेशन व एक रिफ्रेशर कोर्स, चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर कोर्स एवं पे–बैण्ड IV के लिये चयनित वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर/शार्ट टर्म कोर्स करना अनिवार्य है ।
   (ब) महाविद्यालयों के जिन मनोनीत सह/सहायक आचार्यो को सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो केवल उन्हें ही कार्यमुक्त करें।
   (स) मनोनीत सह/सहायक आचार्यो (सी.ए.एस.के तहत पात्र)को उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 05.12.2019 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
   (द) प्राचार्य मनोनीत सह/सहायक आचार्यो को समय सारिणी का समायोजन कर कार्य मुक्त करें।
   (य) दिनांक 01.01.2008 की गाइड लाइन की पालना करते हुये सर्विस बुक से परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे की नामांकित सह/सहायक आचार्यो को अगली पदौन्नती के लिए कोर्स की आवश्यकता है या नहीं, उपरोक्त शर्त की पालना की व्यक्तिगत जवाब देही स्वयं प्राचार्य की होगी।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यो ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे–बैण्ड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है । जो सह/सहायक आचार्यो तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होगें उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्यो द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्यो के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा उन्हें एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ कोटा/ उदयपुर/ अजमेर/ जोधपुर/बीकानेर।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

acad Letter